राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 21/21

दायर दिनांक 18.08.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

01- मुकेश दत्तक पुत्र स्व0 भैरू जाति बलाई निवासी रामपुरा तहसील रूपनगढ़

.....अपीलान्ट

वनाम

01- ग्राम पंचायत बुहारू जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बुहारू पंचायत समिति किशनगढ़

02- राज्य सरकार ज़रिये तहसीलदार रूपनगढ़

03- नंदलाल पुत्र मांगीलाल जाति बलाई निवासी रामपुरा तहसील रूपनगढ़

.....रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 03.08.2022

उपस्थित अधिवक्ता – श्री विमल किशोर तिवाड़ी – अपीलान्ट की ओर से

श्री महेन्द्र कुमार डवरिया – रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से

संक्षिप्त के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम रामपुरा पटवार हल्का बुहारू तहसील रूपनगढ़ में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या 43 के ख0न0 228 रकबा 1.0193 है0, ख0न0 231 रकबा 0.1618 है0, खाता संख्या 226 के ख0न0 406 रकबा 0.5663 है0, ख0न0 407 रकबा 0.5986 है0 जिसमें अपीलान्ट की दत्तक माता चौथी पत्नि भैरू के नाम हिस्सा–पूर्ण खातेदार व हमेशा गैर खातेदार में दर्ज तथा खाता संख्या 229 के ख0न0 348 रकबा 0.4125 है0 है जिसमें अपीलान्ट की दत्तक माता चौथी पत्नि भैरू के नाम हिस्सा 1/2 हमेशा गैर खातेदार में दर्ज है। अपीलान्ट को उसकी दत्तक माता चौथी पत्नि भैरू ने उसके जीवनकाल में दिनांक 29.03.2010 को गोद लेने बाबत् गोदनामा निष्पादित करवाया गया था उक्त गोदनामा का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, किशनगढ़ के यहां पर दिनांक 29.03.2010 को पंजीवद्ध करवाया गया था जो कि अपीलान्ट मृतका चौथी पत्नि भैरू का विधिक रूप से दत्तक पुत्र है एवं अपीलान्ट की दत्तक माता का स्वर्गवास दिनांक 28.05.2010 हो चुका है तथा अपीलान्ट अपनी दत्तक माता चौथी पत्नि भैरू की मृत्यु के बाद उनकी आराजी पर मौके पर अपीलान्ट काविज काश्त है। अपीलन्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर पंजीकृत गोदनामा के आधार पर अपनी दत्तक माता स्व0 चौथी पत्नि भैरू आराजी का अपीलान्ट के नाम पंजीकृत गोदनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पेश किया। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.09.2020 को गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 773 दिनांक 18.08.2020 भरकर नामान्तरकरण में सभी खसरो पर माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है जिसकी प्रति संलग्न है। नामान्तरकरण वास्ते जांच व आदेशार्थ पेश है। गिरदावर हल्का के समक्ष पेश किया जिस पर गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अंकन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पर माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है साथ ही नन्दलाल पुत्र भैरू बलाई द्वारा नामान्तरकरण नहीं भरने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 07.09.2020 को ग्राम पंचायत की बैठक प्रस्ताव संख्या 2 में पारित निर्णय अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष तस्दीक हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त गोदनामा के आधार भरे हुये नामान्तकरण को बिना विधिक रूप से खारिज कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स की तलबी जरिये नोटिस की गयी। रेस्पोडेंट्स के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं जवाब पेश किया। किन्तु दिनांक 22.06.2022 को रेस्पोडेंट्स संख्या 3 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2/7.09.2020 की प्रति पेश की। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में वकील अपीलांट की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, किशनगढ़ के दिवानी वाद संख्या 24/2010 निर्णय दिनांक 16.02.2013 से वादी नन्दलाल द्वारा गोदनामा निरस्त किये जाने बाबत् का निस्तारण करते हुए समस्त तनकीयात वादी के विरूद्ध निर्णित की जाकर वाद वादी खारिज किया जा चुका है एवं ग्राम रामपुरा के नामान्तरकरण संख्या 773 में पटवारी हल्का द्वारा मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेख किया है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये है। इस कारण अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से अपील स्वीकार की जाती है। अतः ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 07.09.2020 द्वारा दिये गये निर्णय को खारिज किया जाता है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन आराजी का पंजीकृत गोदनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। यदि इस संबंध में कोई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:02 IST
Reason: SelfAttested